



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 2007/फाल्गुन 23, 1928

No. 60]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2007/PHALGUNA 23, 1928

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2007

सं. एल-7/25(5)/2003-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का और इस निम्न सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004, जिसे इसमें इसके पश्चात्, "मूल विनियम" कहा गया है, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2007 है।

(2) ये विनियम 1-4-2007 से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 16 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"16. प्रचालन के संनियम.—प्रचालन के संनियम जो नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित को लागू होंगे—

(i) पूर्ण क्षमता (नियत) प्रभागों की वसूली के लिए लक्ष्य उपलब्धता—

(क) नीचे खण्ड (ख) के अधीन आने वाले स्टेशनों के सिवाय सभी ताप ऊर्जा उत्पादन केंद्र — 80 %

(ख) नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के ताप ऊर्जा — 75 %

उत्पादन केंद्र (टी पी एस-I, टी पी एस-II, प्रक्रम 1 और 2 और टी पी एस-I विस्तारण) और एन टी पी सी लि. के तलचर ताप ऊर्जा केंद्र

टिप्पण :

लक्ष्य उपलब्धता के स्तर के नीचे की क्षमता (नियत) प्रभागों की वसूली आनुषंगिक आधार पर की जाएगी। शून्य उपलब्धता पर, कोई भी क्षमता प्रभाग संदेय नहीं होगा।

(ii) प्रोत्साहन के लिए लक्ष्य संयंत्र भार कारक—

(क) नीचे खण्ड (ख) के अधीन आने वाले केंद्रों के सिवाय सभी ताप उत्पादन केंद्र — 80 %

(ख) नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र (टी पी एस-I, टी पी एस-II, प्रक्रम 1 और 2 विस्तारण) तथा एन टी पी सी लि. के तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र

(iii) सकल केन्द्र हीट दर—

(क) नीचे खण्ड (ख) और (ग) में दिए गए केन्द्रों के सिवाय कोयला आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

	200/210/250 मेगावाट सैट	500 मेगावाट और उससे ऊपर के सैट
स्थिरीकरण अवधि के दौरान	2600 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा	2550 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा
पश्चात्कर्त्त अवधि	2500 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा	2450 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा

टिप्पण 1 :

500 मेगावाट और उससे ऊपर के यूनिटों के संबंध में, जहां बायलर फीड पम्प विद्युत से प्रचालित किए जाते हैं वहां कुल उत्पादन ताप दर उपरोक्त उपदर्शित उत्पादन ताप दर, से 40 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा कम होगी।

टिप्पण 2 :

ऐसे उत्पादन केन्द्रों के लिए, जिनके पास 200/210/250 मेगावाट सैट और 500 मेगावाट और उससे ऊपर के सैट का संयोजन है, मानकीय सकल उत्पादन केन्द्र ताप दर, भारत औसत उत्पादन केन्द्र ताप दर होगी।

(ख) तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र 3100 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा

(ग) टांडा ताप ऊर्जा केन्द्र 2850 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा

(घ) लिग्नाइट से चलने वाले तापीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

(1) कोयला आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों के लिए ऊपर खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट सकल उत्पादन केन्द्र ताप की दरें नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के टीपीएस-I और टीपीएस -II (प्रक्रम 1 और 2) के सिवाय नीचे दिए गए गुणककारकों का उपयोग करते हुए, संशोधित की जाएंगी :—

(i) 50 प्रतिशत आर्द्रता वाली लिग्नाइट के लिए : 1.10 का गुणनकारक;

(ii) 40 प्रतिशत आर्द्रता वाली लिग्नाइट के लिए : 1.07 का गुणनकारक;

(iii) 30 प्रतिशत आर्द्रता वाली लिग्नाइट के लिए : 1.04 का गुणनकारक ;

(iv) आर्द्रता अंतर्वस्तु के अन्य मूल्यों के लिए गुणककारक उपरोक्त उप-खंड (i) से खंड (iii) में दी गई अपनी-अपनी रेंज के लिए गुणककारक के रेटेड मूल्यों पर निर्भर रहते हुए, 30-40 और 40-50 की बीच की आर्द्रता अंतर्वस्तु हेतु अनुपात में निर्धारित की जाएगी।

(2) नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के टीपीएस-I और टीपीएस-II :

टीपीएस-I 3900 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा

टीपीएस-II 2850 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा

(ङ) गैस टर्बाइन संयुक्त आवर्तन ऊर्जा उत्पादन केन्द्र—

(i) एनटीपीसी लि. के स्वामित्वाधीन विद्यमान उत्पादन केन्द्र

उत्पादन केन्द्र का नाम	संयुक्त आवर्तन (साईकिल) (कि. कैलोरी/किलोवाट)	खुला आवर्तन (कि. कैलोरी/किलोवाट)
गंधार जी पी एस	2000	2900
कवास जी पी एस	2075	3010
अन्ता जी पी एस	2075	3010
दादरी जी पी एस	2075	3010
औरंगा जी पी एस	2100	3045
फरीदाबाद जी पी एस	2000	2900
कापसकुलम जी पी एस	2000	2900

(ii) 1-4-2004 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादन केन्द्र

	उन्नत श्रेणी मशीन	ई/ईए/ईसी/ई2 श्रेणी मशीन
खुला आवर्तन	2685 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा	2830 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा
संयुक्त आवर्तन	1850 कि. कैलोरी/ किलोवाट घंटा	1950 कि. कैलोरी/ किलोवाट घंटा

(iii) लघु गैस टर्बाइन ऊर्जा उत्पादन केन्द्र :

(क) असम गैस आधारित ऊर्जा केन्द्र, कैथलगुड़ी :

खुला आवर्तन	- 3225 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा
संयुक्त आवर्तन	- 2250 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा

(ख) अगरतला गैस आधारित ऊर्जा केन्द्र, रामचन्द्रनगर

खुला आवर्तन	- 3580 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा
-------------	--------------------------------

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को छोड़कर

	प्राकृतिक गैस सहित	दव ईंधन सहित
खुला आवर्तन	- 3125 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा	1.02 × 3125 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा
संयुक्त आवर्तन	- 2030 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा	1.02 × 2030 कि. कैलोरी/किलोवाट घंटा

(iv) गौण ईंधन तेल खपत

(क) कोयला आधारित उत्पादन केन्द्र :

(i) नीचे खण्ड (ii) के अधीन आने वाले केन्द्रों के सिवाय सभी कोयला आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

स्थिरीकरण अवधि के दौरान	पश्चात्पूर्ती अवधि
4.5 मि.ली./किलोवाट घंटा	2.0 मि. ली./किलोवाट घंटा
(ii) तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र	3.5 मि.ली./किलोवाट घंटा

(ख) लिग्नाइट आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र

स्थिरीकरण अवधि के दौरान	पश्चात्पूर्ती अवधि
3.0 मि.ली./किलोवाट घंटा	3.0 मि. ली./किलोवाट घंटा

(v) अतिरिक्त ऊर्जा खपत

(क) कोयला आधारित उत्पादन केन्द्र :

	शीतलन (कूलिंग) टावर सहित	शीतलन (कूलिंग) टावर के बिना
(i) 200 मेगावाट शृंखला	9.0%	8.5%
(ii) 500 मेगावाट शृंखला		
भाप चालित वायलर फीड पम्प	7.5%	7.0%
विद्युत चालित वायलर फीड पम्प	9.0%	8.5%
(iii) तलचर ताप ऊर्जा केन्द्र	11.0%	
(iv) टांडा ताप ऊर्जा केन्द्र	12.0%	

(ख) गैस टर्बाइन संयुक्त आवर्तन उत्पादन केन्द्र :

(i) संयुक्त आवर्तन	3.0%
(ii) खुला आवर्तन	1.0%

(ग) लिग्नाइट आधारित ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र :

(i) नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड के टीपीएस-I और टीपीएस-II (प्रक्रम I और II) के सिवाय सभी उत्पादन केन्द्र :

उपरोक्त (v) (क) (i) और (ii) पर कोयला आधारित उत्पादन केंद्र के सहायक ऊर्जा खपत सैनियम का प्रतिशतता बिन्दु अतिरिक्त ऊर्जा खपत सैनियम से अधिक 0.5 होगा।

(ii) नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड के टीपीएम-1 और टीपीएस-II प्रक्रम I और II :

पी टी एम-1	12.0%
टी पी एस-II	10.0%

टिप्पण :

स्थिरीकरण अवधि के दौरान, मानकीय अतिरिक्त खपत ऊपर खंड (क), (ख) और (ग) में उपदर्शित सैनियमों से अधिक 0.5% तक मानी जाएगी।

(vi) स्थिरीकरण अवधि

यूनिट के संबंध में उस यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रारंभ होने वाली स्थिरीकरण अवधि निम्नानुसार मानी जाएगी।

अर्थात् :—

(क) कोयला आधारित और लिग्नाइट चालित उत्पादन केंद्र	180 दिन
(ख) गैस टर्बाइन संयुक्त आवर्तन उत्पादन केंद्र	90 दिन

टिप्पण :

स्थिरीकरण अवधि और स्थिरीकरण अवधि के दौरान लागू शिथिल सैनियम I-4-2006 से लागू न होंगे।"

के. एस. डोंगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन III-IV/150/2006/असा.]

पाद टिप्पण :

मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4 में तारीख 29-3-2004 को अधिसूचित किए गए थे और समय समय पर निम्नानुसार संशोधित किए गए थे :

(i) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 9-9-2004 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2004 ।

(ii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 25-8-2005 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2005 ।

(iii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 8-6-2006 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2006 ।